न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 82/2020 बउनवानी मोतीलाल मीना **बनाम** सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग
पुत्र स्व. श्री ठण्डीराम मीना, निवासी—मकान नम्बर 314 वार्ड नम्बर—25
विवेकान्नद सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पास राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे गंगापुर सिटी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
24.12.2020	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.9.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.1(120)/सूकाअ/2020/3019 दिनांक 12.10.2020 से प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ./2/9/उद्योग/राजस्व/97/2408 दिनांक 17.07.2000 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करे। 2. जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक भू0रू/2के/789 दिनांक 27.7.2000 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक क्रमांक राजस्व/2020/6003 दिनांक 18.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना हेतु 2/—रू शुल्क जमा करवाने बाबत व बिन्दु संख्या 2 की सूचना अनुभाग से संबंधित नही होने बाबत वस्तुस्थिति से जरिये पत्रांक राजस्व/सूकाअ/20/5652 दिनांक 13.11.2020 से लिखा जा चुका है किन्तु प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.9.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना के लिए 2/—रू शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 5652 दिनांक 13.11.2020 को अधिनियम की तय समय सीमा समाप्त पश्चात लिखा गया है जबकि ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी। इसलिए प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जावे। बिन्दु संख्या 2 की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र में अंकित विवरण के अनुसार वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ है। अतः अपीलान्ट बिन्दु संख्या 2 की सूचना हेतु पूर्ण विवरण उपलब्ध करावे ताकि सूचना उपलब्ध करवायी जा सके। उक्त निर्देश के साथ अपीलान्ट की अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2020.12.28 17:15:42 IST
Reason: SelfAttested